HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2206/2026

(Third Bail)

Rodilal Alias Kalu S/o Late Shri Ganga Ram, Aged About 59 Years, Resident of Gundarali Nimbahera, Police Station Kanera, District Chittorgarh. At Present Lodged In Sub Jail, Pindwara.

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kailash Khilery
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

13/03/2026

प्रार्थी अभियुक्त **रोडीलाल उर्फ कालू** की ओर से यह तृतीय जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना पिंडवाड़ा, जिला सिरोही में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 200/2024 अपराध अंतर्गत धारा 8/18 व 25 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. प्रार्थी अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र Not-press करने के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ दिनांक 28.08.2025 को एवं द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भी Not-press करने के आधार पर अनुसंधान अधिकारी के कथन लेखबद्ध होने के पश्चात् पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ दिनांक 14.10.2025 को निस्तारित किया गया।

03. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

04. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि पूर्व में प्रार्थी अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अनुसंधान अधिकारी के कथन लेखबद्ध करने की स्वतंत्रता देने पर नोट प्रेस करने पर निस्तारित किया गया था। इसके पश्चात् अनुसंधान अधिकारी के कथन भी लेखबद्ध हो चुके हैं। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में दी गई साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में जिन मुख्य अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध अफीम के दूध की बरामदगी बताई गई है, उसकी सप्लाई किए जाने में कोई भूमिका नहीं रही है और न ही अभिलेख पर ऐसा कोई रिकॉर्ड आया है, जिससे यह पाया जा सके कि प्रार्थी अभियुक्त द्वारा ही प्रकरण के अन्य मुख्य अभियुक्तगण को बरामदशुदा मादक पदार्थ उपलब्ध करवाया गया हो। प्रार्थी अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से लेकर काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध समान प्रकृति का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। अभी भी अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

05. उक्त तर्कों के खण्डन में योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 18.05.2024 को वक्त 7:40 पी.एम. पर थानाधिकारी मय जाप्ता, गश्त करते हुए मालेरा तिराया, नेशनल हाइवे नंबर 27 पर पहुंचे और नाकाबंदी शुरू की तो 8:45 पी.एम. पर एक महिंद्रा जीप तेज गति से आती दिखाई दी, जिसको रुकवाने पर उसमें दो व्यक्ति क्रमशः शर्मा उर्फ सरमा व भूरालाल होना पाए गए थे। तत्पश्चात् तलाशी लेने पर चार प्लास्टिक की थैलियों में 10 किलों 700 ग्राम अफील का दूध पाया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार उक्त बरामदशुदा अवैध पदार्थ प्रार्थी अभियुक्त रोडीलाल द्वारा ही उपलब्ध करवाया गया था। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु.04

विपिन शर्मा ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी. 05, जो कि धारा 27 की सूचना था, उसमें यह वर्णन नहीं है कि अफीम का दूध किससे व कहां से खरीदा गया था। न ही स्थान की तस्दीक की गई थी। प्रदर्श पी.06 में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस स्थान पर माल उपलब्ध करवाया गया था और इस संबंध में सहअभियुक्त शर्मा उर्फ सरमा व भूरालाल से भी कोई अनुसंधान नहीं किया गया और न ही उनको प्रार्थी अभियुक्त से रूबरू करवाया गया था। यह भी स्वीकार किया कि रोडीलाल द्वारा माल सप्लाई करने बाबत कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। प्रदर्श डी.01 से प्रदर्श डी.07 गवाहों के बयान भी उनके कथनानुसार लिए गए थे, जिनके बयानों में यह सार भी आया है कि बंजारा जाति के लोग कंबल, चट्टाई आदि बेचने का अलग–अलग क्षेत्रों में व्यापार भी करते हैं और खेतों में मजदूरी करने की आवश्यकता होने पर मजदूर रोडीलाल द्वारा भेजे जाते हैं। सिम नंबर 9399864668 व 7598529550 रोडीलाल के कब्जे से बरामद नहीं किए गए थे और न ही रोडीलाल की बैंक खाता व कॉल डिटेल भी प्राप्त की गई थी।

07. अतः प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में दी गई साक्ष्य की उपर्युक्त स्थिति, प्रार्थी अभियुक्त रोडीलाल का मामला अन्य मुख्य सहअभियुक्तगण से भिन्न होना प्रकट होने से और बरामदशुदा मादक पदार्थ की सप्लाई के संबंध में स्पष्टतया कोई साक्ष्य नहीं होने आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी अभियुक्त रोडीलाल उर्फ कालू को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

08. परिणामतः प्रार्थी अभियुक्त **रोडीलाल उर्फ कालू पुत्र गंगाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत का तृतीय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त पुलिस थाना पिंडवाड़ा, जिला सिरोही में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 200/2024 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद

पचास–पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

113-Rajendra/-